रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 31, 2016/कार्तिक 9, 1938
No. 344] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 2016/KARTIKA 9, 1938

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2016

विषय: घरेलू दूरसंचार विनिर्माता निर्यातकों के लिए ब्याज समकरण दिशा-निर्देश।

सं. 18-34/2013-आईपी.—भारत सरकार ने दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से पात्र निर्यातकों के लिए पूर्व एवं पश्चात् नौवहन रुपया निर्यात क्रेडिट के संबंध में दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को ब्याज समकरण स्कीम की घोषणा की है। सरकार के निर्णय के अधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/259 डीबीआरडीआईआर.बीसी सं.62/04.02.001/2015-16 दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 के तहत इस स्कीम के प्रचालनात्मक निर्देश जारी किए थे। सुसंगत प्रणाली (आईटीसी-एचएस) कोड पर आधारित भारतीय व्यापार स्पष्टीकरण के चार (4) अंक के स्तर तक छः (6) प्रशुल्क लाइनों को भी आरबीआई परिपत्र के अनुबंध क के क्रम सं. 277, 330 से 334 पर इस स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

2. विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपने का.ज्ञा.सं. 01/94/180/127/एएम 16/पीसी-4/746 दिनांक 3 फरवरी, 2016 के तहत सूचित किया है कि वाणिज्यि विभाग ने उक्त स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के लिए दूरसंचार उत्पादों हेतु न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड अधिरोपित करने के लिए दूरसंचार विभाग के सुझाव को स्वीकार कर लिया था और इसे अधिसूचना के पैरा 2(ज) में स्कीम में समाविष्ट कर दिया था, जिसमें उल्लेख है कि दूरसंचार विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों को अधिसूचित करने के बाद इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होने के लिए दूरसंचार उत्पाद निर्यात, दूरसंचार विभाग द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अध्यधीन होंगे।

3. दिशा-निर्देशों की इस अधिसूचना के पश्चात् घरेलू दूरसंचार विनिर्माता निर्यातक न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अध्यधीन इस स्कीम के अन्तर्गत पात्र होंगे।

4. दूरसंचार विभाग एतद्वारा स्कीम के अन्तर्गत पात्रता के लिए दूरसंचार उत्पादों हेतु निम्नलिखित न्यूनतम मूल्य संवर्धन अर्हक मानदंड अधिसूचित करता है:

I. सम्पूर्ण उत्पाद (सभी वासित मुद्रित सर्किट बोर्ड अर्थात् पीसीबी सहित) पूर्णत: घटी कीमत (सीकेडी) स्तर [अर्थात् भारत में की गई पूर्ण इलेक्ट्रानिक विनिर्माण सेवा (ईएमएस)] पर भारत में निर्मित होने चाहिए।

II. दूरसंचार उत्पादों को सारणी 1 में प्रत्येक उत्पाद के सामने यथा उल्लिखित न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड को पूरा करना चाहिए। मूल्य संवर्धन संबंधी दावा स्व–प्रमाणीकरण पर आधारित होगा, जो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षरित और लेखा-परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

III. स्व–प्रमाणीकरण के झूठे/गलत दावों के बारे में दूरसंचार विभाग को शिकायत की जाएगी।

IV. इस स्कीम के प्रभाव की जांच करने के लिए कि क्या इससे उद्देश्य की पूर्ति हो गई है अथवा नहीं, 3 वर्ष की पूर्णता के पश्चात् दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और सारणी-1 के दूरसंचार उत्पादों के बारे में स्कीम के आगे विस्तार हेतु निर्णय लिया जाएगा।

सारणी 1

दूरसंचार उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड

क्र. सं.	**आईटीसी (एचएस कोड) (8 अंक)**	**योग्यता मानदंड: निम्नलिखित सभी कार्रवाई/क्रियाकलाप पूर्ण किए जाने चाहिएं/मूल्य संवर्धन मानदंड सुझाव**
1.	85171110	निर्यातित उत्पाद में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त विदेशी इनपुट का सीआईएफ (लागत बीमा एवं माल भाड़ा) मूल्य एफओबी (फ्री आन बोर्ड) मूल्य से 60% कम होना चाहिए।
2.	85171190	
3.	85171810	
4.	85171890	
5.	85176100	
6.	85176210	
7.	85176220	
8.	85176230	
9.	85176240	
10.	85176250	
11.	85176260	
12.	85176270	
13.	85176290	
14.	85176910	
15.	85176920	
16.	85176930	
17.	85176940	
18.		

क्र. सं.	आईटीसी (एचएस कोड) (8 अंक)	योग्यता मानदंड: निम्नलिखित सभी कार्रवाई/क्रियाकलाप पूर्ण किए जाने चाहिएं/मूल्य संवर्धन मानदंड सुझाव
19.	85176950	
20.	85176960	
21.	85176970	
22.	85176990	
23.	85195000	
24.	85255040	
25.	85255090	
26.	85256011	
27.	85256012	
28.	85256013	
29.	85256019	
30.	85256091	
31.	85256092	
	85256099	
32.	85171210	निर्यातित उत्पाद में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त विदेशी इनपुट का सीआईएफ (लागत बीमा एवं माल भाड़ा) मूल्य एफओबी (फ्री आन बोर्ड) मूल्य से 80% कम होना चाहिए।
33.	85171290	
34.	85177010	
35.	85177090	

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव (दूरसंचार)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2016

Subject : Interest Equalisation Guidelines for domestic telecom manufacturer exporters.

No.18-34/2013-IP.—The Government of India has announced the Interest Equalisation Scheme on Pre & Post Shipment Rupee Export Credit on November 18, 2015 to the eligible exporters with effect from 1st April, 2015. Based on the decision of the Government, Reserve Bank of India issued the operational instructions of the scheme vide circular No. RBI/2015-16/259 DBR. Dir. BC. No. 62/ 04.02.001/2015-16, dated December 4, 2015. Six (6) tariff lines up to four (4) digit level of Indian Trade Clarification based on Harmonized System (ITC-HS) code are also included under the scheme at serial Nos. 277, 330 to 334 of the Annexure A of the RBI circular.

2. Directorate General of Foreign Trade has informed vide its O.M. No. 01/94/180/127/AM16/PC-4/746 dated 3rd February, 2016 that Department of Commerce had accepted the suggestion from Department of Telecommunications to impose minimum value addition criteria for telecom products for eligibility under the said scheme and had incorporated the same in the scheme in para 2(h) of the notification, which states that "Telecom products exports would, after notification of the guidelines by the Department of Telecommunications, however, be subject to minimum value addition as notified by Department of Telecommunications, to be eligible under the scheme.

3. The domestic telecom manufacturer exporters will, after this notification of the guidelines, be eligible under the scheme subject to minimum value addition.

4. Department of Telecommunications hereby notifies following minimum value addition qualifying criteria for Telecom Products to be eligible under the scheme:

I. The entire product (including all populated Printed Circuit Boards i.e. PCBs) should be manufactured in India at Completely Knocked Down (CKD) level (i.e. full Electronic Manufacturing Services (EMS) done in India).

II. The telecom products should meet minimum value addition criteria as mentioned against each product in Table 1. Claim for value addition shall be based on self-certification, which shall be signed by Directors and counter signed by Auditor/Chartered Accountant (CA).

III. The complaint regarding false/incorrect claims of self-certification shall be made to the Department of Telecommunications.

IV. Guidelines will be reviewed after the completion of 3 years to check the effect of the scheme whether this has fulfilled the purpose or otherwise and decision will be taken for further extension on the scheme in telecom products of Table 1.

TABLE 1

MINIMUM VALUE ADDITION CRITERIA FOR TELECOM PRODUCTS

Sl. No.	ITC (HS) Code (8 digits)	Qualification Criteria: All of followings Steps/Activities to be completed/Value Addition Criteria suggestion
1.	85171110	The CIF (Cost Insurance & Freight) value of the foreign inputs used directly or indirectly in the exported product should be less than 60% of the FOB (Free on Board) value.
2.	85171190	
3.	85171810	
4.	85171890	
5.	85176100	
6.	85176210	
7.	85176220	
8.	85176230	
9.	85176240	
10.	85176250	
11.	85176260	
12.	85176270	
13.	85176290	
14.	85176910	
15.	85176920	
16.	85176930	
17.	85176940	

Sl. No.	ITC (HS) Code (8 digits)	Qualification Criteria: All of followings Steps/Activities to be completed/Value Addition Criteria suggestion
18.	85176950	
19.	85176960	
20.	85176970	
21.	85176990	
22.	85195000	
23.	85255040	
24.	85255090	
25.	85256011	
26.	85256012	
27.	85256013	
28.	85256019	
29	85256091	
30.	85256092	
31.	85256099	
32.	85171210	The CIF (Cost Insurance & Freight) value of the foreign inputs used directly or indirectly in the exported product should be less than 80% of the FOB (Free on Board) value.
33.	85171290	
34.	85177010	
35.	85177090	

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy. (T)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.03 12:00:17 +05'30'